



Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

तिथिवद्ध

सेवा में,

1. निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़(लेखा शाखा)।
2. प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इंचार्ज, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (म0) कैथल, (म0) कुरुक्षेत्र, (म0) चरखी दादरी, (म0)नारानगढ़(अम्बाला), कुरुक्षेत्र, कैथल, पुण्डरी, नलवा, अम्बाला शहर, रोहतक, (म0)बहादुरगढ़, फरीदाबाद, (म0) फरीदाबाद, नारनौल, महम, बहादुरगढ़, नीसिंग, तरावडी, उंचाना खुर्द, मातनहेल, पंचकूला, आसौदा(झज्जर), भापड़ौदा, राजलूगढी, सढौरा, पुरखास, सीक पाथरी, मुण्डलाना, लौहारू, नौलथा, टांकडी, राखीशाहपुर, चौटाला, कलाली बलाली, (म0) कालका एट बिटना, मालडावास, सुजापुर(महेन्द्रगढ़), मौजाबाद, नाथुसरी चौपटा, उज्जीना(मेवात), (म0) आदमपुर, भारापुर(अम्बाला), फरमाना, पबनावा (कुरुक्षेत्र), (म0)भिवानी, फुटवीयर रिवाडी, असन्ध एट जयसिंहपुरा, बहल, उंचा गाव(फरीदाबाद), गुढढा एट झज्जर, हसनगढ़, 111(महिला) सिरसा, 111 (महिला) जीन्द, 111, बरवाला(हिसार)।

यादि कमांक : ए सी/आडिट,/ ACM/2016-17/228/Part-8/24/

दिनांक :

विषय:- लम्बित आडिट पैरों के सम्बन्ध में आडिट कमेटी मीटिंग की तिथि निर्धारित करने बारे।

उपरोक्त विषय पर प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हरियाणा के पत्र कमांक एस.एस./ वैटिंग-1/आडिट कमेटी मीटिंग /2016-17 दिनांक 23.11.2016 के संदर्भ में।

आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हरियाणा ने आपके संस्थान से सम्बन्धित विभिन्न लेखा परीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट के लम्बित पैरों के निपटान हेतु आगामी ए0सी0एम0 (आडिट कमेटी मीटिंग) की बैठक दिनांक 15.12.2016 को प्रातः 9.30 बजे लघु न्यू सचिवालय, छठी मजिल, कार्फैस हाल, सैक्टर-17 चण्डीगढ़ में होनी निश्चित की गई है।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि प्रधानाचार्य व डीलिंग सहायक अपने संस्थान से सम्बन्धित प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हरियाणा के लम्बित आडिट आपत्तियों के उत्तर नवीनतम स्थिति अनुसार एनोटेटेड फार्म में (व्याक्तित) पूर्ण रिकार्ड/दस्तावेजों /प्रमाणों की मूल तथा सत्यापित प्रतियों सहित दोहरी प्रतियों में तैयार करके दिनांक 15.12.2016 को प्रातः 9.30 बजे उपरोक्त वर्णित निश्चित तिथि समय व स्थान पर बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें। आदेशों की दृढता से पालना की जाए। आदेशों की अवहेलना करने व किसी भी कोताही के लिए संस्थान का मुखिया तथा सम्बन्धित सहायक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

संयुक्त निदेशक(आडिट एण्ड लेखा)
कृते: निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण हरियाणा।

पृ0 क0: ए सी/आडिट,/ ACM/ 2012-13/228/Part-8/24/ 13148

दिनांक : 2-12-2016

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हरियाणा, सैक्टर-33 बी चण्डीगढ़ को उनके पत्र कमांक एस.एस./ वैटिंग-1/आडिट कमेटी मीटिंग /2016-17 दिनांक 23.11.2016 के संदर्भ में प्रेषित की जाती है।
2. पी0ए0/प्रधान सचिव महोदय
3. पी0ए0/निदेशक महोदय।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)।
5. नोडल अधिकारी (वैबसाईट) को प्रति भेजते हुए अनुरोध किया जाता है कि इसे विभागीय वैबसाईट पर आज ही अपलोड करके इस अनुभाग को सूचित करने की कृपा करें।

संयुक्त निदेशक(आडिट एण्ड लेखा)
कृते: निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण हरियाणा।